**हिन्दी भाषा का प्रसार**

1652. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुए, रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई हैं वहां से एक भी तार हिन्दी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकन यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकन यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिए थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिये क्या नए कदम उठाए गये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :** (क) जी नहीं। राजभाषा अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी अथवा दोनों के प्रयोग का उल्लेख है किन्तु इलैक्ट्रोनिक तथा यांत्रिक सुविधाओं के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । इस मंत्रालय में उपलब्ध कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी में कार्य कर सकते हैं । तथापि, हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गये एक निर्णय के अनुसरण में, इन्हें राजभाषा विभाग के तकनीकी सैल की सहायता से द्विभाषिक रूप में बदलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । तार हिन्दी में भेजे जा रहे हैं किंतु टेलेक्स मशीनें केवल रोमन में ही संदेश भेज सकती हैं ।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि "क" क्षेत्र में देवनागरी टाइपराइटरों, टंककों तथा आशुलिपिकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए । राजभाषा विभाग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों के मामलों में देवनागरी टाइपराइटरों हिन्दी आशुलिपिकों/टंककों का अनुपात कुल संख्या का 25 प्रतिशत होना चाहिए । आशुलिपिकों/टंककों के अनुपात में कमी को क्रमशः 31-3-1990 तथा 31-3-1989 तक पूरा किया जाना है । निर्धारित तारीखों तक इस अनुपात को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

**राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन**

1653. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है ; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिन्टरों आदि की संख्या कितनी है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की